संख्या-121/2020/1873/26-3-2020-10(18)/16

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 सितम्बर 2020

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-मैनपुरी में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेवर मैनपुरी के निर्माण हेतु तृतीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण का पत्र संख्या-483-84/स0क0/ ए0टी0एस0-प्रकोष्ठ(369)/ चकगुमानी/2020-21, दिनांक-09.07.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-मैनपुरी में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बेवर, मैनपुरी के निर्माण हेतु तृतीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-143/2018/1547/26-3-2018, दिनांक-04.06.2018 द्वारा जनपद-मैनपुरी में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेवर, भोगांव, मैनपुरी के भवन निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-2468.50 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0-987.40 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेवर, भोगांव, मैनपुरी के भवन निर्माण हेतु धनराशि **रू0-148.11 लाख (रू0 एक करोड़ अड़तालिस लाख ग्यारह हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है न तो वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5)-कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के आलोक में लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजना हेतु नही किया जायेगा किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(7)-जिस मद में धनराशि अन्तरित की जा रही है, उस मद में धनराशि की उपलब्धता निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(8)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 11.04.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव

पृसं0-121 /2020/1873(1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4 जिलाधिकारी, मैनपुरी।
5 जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी ।
6 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8 प्रबंधनिदेशक,यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9 निदेशक, एन0आई0सी0।
10 गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in